भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1935
उत्तर देने की तारीख 12 दिसम्बर, 2024

अवांछनीय और परेशान करने वाली कॉल

1935 श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अवांछनीय और परेशान करने वाली कॉल किस हद तक साइबर धोखाधड़ी और फ़िशिंग हमलों को बढ़ावा दे रही हैं;

(ख) दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण और मोबाइल सेवा प्रदाताओं द्वारा अवांछनीय और परेशान करने वाली कॉल का मुकाबला करने के लिए आरंभ किए जा रहे नए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त से निपटने के लिए एआई, ब्लॉक चेन आदि का उपयोग किया जाता है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) संचार साथी उपरोक्त (क) और (ख) से निपटने में किस हद तक मदद कर रहा है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए संचार साथी पोर्टल (www.sancharsaathi.gov.in) विकसित किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संदिग्ध धोखाधड़ी संचार और अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की रिपोर्ट करने के लिए चक्षु सुविधा भी है। दूरसंचार विभाग संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट के आधार पर मोबाइल कनेक्शनों, मोबाइल हैंडसेटों, बल्क एसएमएस प्रेषकों और व्हाट्सएप अकाउंटों पर कार्रवाई करता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक

वरीयता विनियम (टीसीसीसीपीआर-2018) के अनुसार कार्य करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को यूसीसी रिपोर्ट भेजी जाती है।

दूरसंचार विभाग और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अंतरराष्ट्रीय फर्जी इनकमिंग कॉलों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय फर्जी इनकमिंग रोकथाम प्रणाली विकसित की है जिनमें भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित होते हैं और जो भारत से ही आती हुई प्रतीत होती हैं। हाल ही में फर्जी डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स घोटालों तथा सरकारी और पुलिस अधिकारी के रूप में छद्मवेश धारण करने आदि के मामलों में साइबर अपराधियों द्वारा इस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय फर्जी कॉल की गई हैं। इसके अलावा यूसीसी का समाधान करने के लिए ट्राई द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. ट्राई के टीसीसीसीपीआर-2018 में ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत दूरसंचार उपभोक्ता सभी वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकता है या अपनी प्राथमिकता श्रेणियों के अनुसार चुनिंदा वाणिज्यिक संचारों को ब्लॉक कर सकता है तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से, शॉर्ट कोड 1909 पर एसएमएस भेजकर तथा 1909 पर कॉल करके यूसीसी भेजने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है।

ii. टीसीसीसीपीआर-2018 का उल्लंघन करने पर पंजीकृत संस्थाओं और टेलीमार्केटर्स को ब्लैकलिस्ट करना।

iii. अपंजीकृत टेलीमार्केटर (यूटीएम) के खिलाफ कार्रवाई करना जैसे चेतावनी देना, उन पर यूसेज कैप लगाना या बार-बार उल्लंघन करने पर डिस्कनेक्ट करना।

iv. स्पैम कॉल करने वाले अपंजीकृत प्रेषकों के सभी दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट करने और ऐसे प्रेषकों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश देना।

v. यूसीसी पर अंकुश लगाने में विफल रहने पर एक्सेस प्रदाताओं के खिलाफ वित्तीय निरुत्साहन (एफडी) करना।

(घ) संचार साथी पोर्टल की चक्षु सुविधा पर नागरिकों की रिपोर्ट और आगे के विश्लेषण के आधार पर मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं, मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक कर दिए गए हैं, व्हाट्सएप अकाउंट डिसइंगेज कर दिए गए हैं और प्रमुख संस्थाओं, हेडर और एसएमएस टेम्पलेट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।

***